द्वारा ई मेल

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–।

संख्याःपॉच–111(वरिष्ठता)2013 दिनांकःनवम्बर 11 ,2014

सेवा में,

1–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पुलिस विभाग,उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

विषयः– वर्ष–2001 तक मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति प्राप्त मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस की अनन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन।

कृपया अवगत कराना है कि मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस से उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु मुख्य आरक्षी ना0पु0 का उ0प्र0 पुलिस नामिनल रोल डाटाबेस प्रणाली में अंकित डाटा को त्रुटि रहित एवं अद्यावधिक करायेजाने हेतु पुलिस मुख्यालय के समांक पत्र दिनांक 04–03–2014 द्वारा सूची भेजते हुए सूचना निर्धारित प्रारूप में पूर्ण कर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी।

2– इस श्रृंखला में जनपदों/इकाइयों से प्राप्त सूचना के आधार पर 88वॉ बैंच तक के प्रशिक्षण प्राप्त मुख्य आरक्षियों तथा पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर–455 अथवा वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति पाये मुख्य आरक्षी ना0पु0 एवं अपूर्ण डाटा के मुख्य आरक्षियों को सम्मिलित करते हुए 6324 कर्मियों की सूची अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उ0 प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 07–6–2014 द्वारा प्रकाशित करते हुए सूचना पूर्ण कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। इसी कम में पुलिस मुख्यालय के समांक पत्र दिनांक 05–7–2014 द्वारा जोनवार/समस्त इकाइयों के अभिलेखों से यथासम्भव मिलान किया गया।

3– जनपदों/इकाइयों से प्राप्त सूचना के आधार पर 88वॉ बैंच तक के प्रशिक्षण प्राप्त मुख्य आरक्षी ना0पु0, पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर–455 अथवा वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति पाये मुख्य आरक्षी ना0पु0 एवं कुशल खिलाड़ी के अन्तर्गत आउट आफ टर्न पदोन्नति प्राप्त कुल 4565 कर्मियों की अनन्तिम वरिष्ठता सूची निम्नलिखित रीति से तैयार की गयी हैः–

1–वीरता के कारण आरक्षी नागरिक पुलिस के पद से मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के निःसवंर्गीय पद पर आउट आफ टर्न पदोन्नति प्राप्त कर्मियों को वरिष्ठता सूची में शासनादेश संख्या–7249/छः–पु–1–98–24/99 दिनांक 1–5–1999 में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार सम्मिलित नहीं है।

2–कुशल खिलाड़ी होने के कारण आरक्षी नागरिक पुलिस के पद से मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के संवर्गीय पद पर आउट आफ टर्न पदान्नति प्राप्त कर्मियों को वरिष्ठता सूची में मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठता निर्धारित करते हुए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–172/6–पु0–10–2003–27(82)2001, दिनांक 07–2–2003 में निहित व्यवस्थानुसार सम्मिलित किया गया है।

3–पुलिस रेग्युलेशन के प्रस्तर–455 के अन्तर्गत मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस बनाये गये आरक्षियों को भी उनके मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठता निर्धारित करते हुए सम्मिलित किया गया है।

4–मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस की वरिष्ठता सूची में सम्मिलित सभी कर्मियों की वरिष्ठता उनके मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निर्धारित की गयी है।

5–यदि एक से अधिक कर्मियों की पदभार ग्रहण करने की तिथि समान है तो उनकी आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की गयी है।

6–यदि एक से अधिक कर्मियों की मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर तथा आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि समान है तो उनकी जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की गयी है।

7–यदि एक से अधिक कर्मियों की मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर तथा आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि समान है एवं उनकी जन्मतिथि

भी समान है तो अंग्रेजी में उनके नामों के आधार पर अंग्रेजी वर्णमाला के कम के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित की गयी है।

4— उपरोक्तानुसार निर्धारित रीति के अनुसार मुख्य आरक्षी ना0पु0 की अनन्तिम वरिष्ठता सूची तैयार कर उ0प्र0पुलिस की वेबसाइट **http://uppolice.gov.in/page.aspx?estt.-matters-of-civil-police**पर प्रदर्शित की गयी है तथा सर्वसंबंधित को ई मेल के माध्यम से भेजी जा रही है। इस सूची में कुल 4565 कर्मियों के नाम अंकित हैं।

5— कृपया उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट पर प्रदर्शित मुख्य आरक्षी ना0पु0 की अनन्तिम वरिष्ठता सूची को डाउनलोडकर सम्बन्धित कर्मियों के डाटा का मिलान अपने कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से करा लिया जाय। उपरोक्तानुसार सूची में अंकित नाम के अपने जनपद/इकाई में नियुक्त मुख्य आरक्षियों, मुख्य आरक्षी स्थानीय अभिसूचना इकाई तथा उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस (विशेष श्रेणी), उपनिरीक्षक अध्यापक के नाम से मिलान किया जाय। यदि आपके जनपद/इकाई में नियुक्त 88वें बैंच तक के प्रशिक्षण प्राप्त एवं पुलिस रेग्युलेशन के प्रस्तर—455 के अन्तर्गत वर्ष—2001 तक के मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर नियुक्त व कुशल खिलाड़ी के अन्तर्गत संवर्गीय पद पर आउट आफ टर्न प्रोन्नति प्राप्त मुख्य आरक्षी ना0पु0में से किसी मुख्य आरक्षी का नाम सूची में सम्मिलित होने से छूटा हो तो उसका विवरण पीएनओ डाटा वेस आनलाईन में दिनांक **19.11.2014** तक अवश्यमेव इन्ट्री कराना सुनिश्चित करते हुये विवरण पुलिस मुख्यालय को ई—मेल आईडी **sicppromo.phq5@gmail.com** पर तत्काल भेज दिया जाय।

6— कृपया निम्नलिखित बिन्दुओ पर विशेष ध्यान आकृष्ट करते हुये अनुरोध है कि इसे अपने स्तर पर स्वयं देख कर उपलब्ध अभिलेखों से मिलान के पश्चात् प्रमाण—पत्र प्रेषित किया जायः—

1— सूची में अंकित कर्मी का पीएनओ सही है, कर्मी का नाम, जन्मतिथि, भर्ती की तिथि, मुख्य आरक्षी के पद पर प्रोन्नति तिथि सही है।

2— आपके जनपद/इकाई में नियुक्त 88वें बैच तक के प्रशिक्षण प्राप्त एवं वर्ष 2001 तक के पुलिस रेग्यूलेशन के प्रस्तर—455/वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नत, कुशल खिलाडी के रूप में आउट आफ टर्न प्रोन्नत प्राप्त तथा मुख्य आरक्षी प्रोन्नत वेतनमान में सेवारत किसी मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस का नाम छूटा नहीं है।

3— उक्त अवधि के आफिस मैनुअल के प्रस्तर—191 के अन्तर्गत स्थानीय रूप से उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस का नाम छूटा नहीं है।

4— उक्त अवधि के मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद से पैडागाजी कोर्स करके उपनिरीक्षक (अध्यापक) के पद पर नियुक्त कर्मियों, का नाम छूटा नहीं है।

5— आफिस मैनुअल के प्रस्तर—191 के अन्तर्गत मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस को स्थानीय स्तर पर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस बनाये हुये मुख्य आरक्षी के अतिरिक्त इस श्रेणी के किसी अन्य कर्मी का नाम सम्मिलित नहीं है।

6— अदम्य साहस एवं शौर्य के लिए निःसंवर्गीय पद पर मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर आउट आफ टर्न पदोन्नति प्राप्त किसी मुख्य आरक्षी ना0पु0 का नाम सम्मिलित नहीं है।

7—प्रमाणित किया जाय कि सूची में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य आरक्षी ना0पु0 के अतिरिक्त सशस्त्र पुलिस अथवा अन्य श्रेणी के कर्मी का नाम सम्मिलित नहीं है।

7— इस सूची को पुलिस लाइन/थानों/कार्यालय तथा अन्य सम्बन्धित स्थानों पर प्रचार—प्रसार करने हेतु सूचना—पट् पर चस्पा करवा दें। साथ ही सूची में अंकित मुख्य आरक्षियों को इसकी लिखित सूचना देकर सूचित करने सम्बन्धी अभिलेख को अपने कार्यालय में सुरक्षित करते हुये पुलिस मुख्यालय को अवगत करायें। यदि कोई मुख्य आरक्षी अवकाश पर हो अथवा किसी अन्य कारण से जनपद/इकाई में उपलब्ध न हो तो उसे इसकी सूचना लिखित रूप में अवकाश कालीन पता/नियुक्ति स्थान को देते हुये अभिलेख सुरक्षित कर लिये जाय।

8— उक्त सूची में अंकित यदि कोई मुख्य आरक्षी ना0पु0/मुख्य आरक्षी स्थानीय अभिसूचना इकाई/उप निरीक्षक अध्यापक जो मूलतः हेड का0 ना0पु0 से पैडागाजी कोर्स उत्तीर्ण/उप निरीक्षक ना0पु0 विशेष श्रेणी एवं पुलिस आफिस मैनुअल के प्रस्तर—191 के अन्तर्गत स्थानीय रूप से पदोन्नति प्राप्त उप निरीक्षक ना0पु0 में से कोई कर्मी स्थानान्तरित हो गया हो अथवा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हो तो उसे सूचित करने अथवा नाम छूटे होने की दशा में उसका विवरण उसके गहन जनपद द्वारा पीएनओ डाटा वेस आन लाईन में निर्धारित तिथि के अन्दर इन्ट्री कर पुलिस मुख्यालय को अवगत कराने की जिम्मेदारी उसके गहन जनपद/इकाई की होगी।

9— उ0प्र0 पुलिस नामिनल रोल डाटाबेस प्रणाली पर जनपद/इकाई द्वारा अंकित सूचना के आधार पर सूची तैयार की गयी है तथा तैयार करते समय इसकी शुद्धता का पूरा—पूरा ध्यान रखा

गया है, परन्तु यदि किसी मुख्य आरक्षी ना0पु0 द्वारा सूची में अंकित सूचना के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो उसके बारे में जनपद/इकाई के स्तर पर उपलब्ध अभिलेख से परीक्षण कर इसे निस्तारित करते हुए 08 दिवस के अन्दर सम्बन्धित कर्मी को सूचित कर इसका अभिलेख अपने कार्यालय स्तर पर सुरक्षित रख लें, साथ ही उ0प्र0 नामिनल रोल डाटा बेस प्रणाली में भी ठीक करा दिया जाय। इसकी सकंलित सूचना विशेष वाहक के माध्यम से पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को दिनांकः**19–11–2014** तक ई–मेल sicppromo.phq5@gmail.com पर उपलब्ध करा दिया जाये। इससे सम्बन्धित समग्र निर्देशित कार्यवाही पूर्ण कर अपेक्षित संशोधन की सूची प्रमाणपत्र सहित दिनांक 20.11.2014 तक प्रत्येक दशा में पुलिस मुख्यालय भिजवाने की कृपा करें।

10– कृपया उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट पर प्रकाशित उपरोक्त सूची तत्काल डाउनलोड कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय। प्रकरण अति महत्वपूर्ण है। अतः आप का व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

(भगवान स्वरूप)
पुलिस उपमहानिरीक्षक,स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

<u>संख्या व दिनांक वही</u>

<u>प्रतिलिपि–</u> पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया ई–मेल सूची को उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर तुरन्त प्रदर्शित करने की कृपा करें।

(भगवान स्वरूप)
पुलिस उपमहानिरीक्षक,स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

<u>संख्या तथा दिनॉक वही।</u>

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त संदर्भ में कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1– अपर पुलिस महानिदेशक,कार्मिक उ0प्र0 लखनऊ।
2– पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना उ0प्र0 लखनऊ।

<u>संख्या तथा दिनॉक वही।</u>

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–पुलिस उपमहानिरीक्षक,एन0आई0ए0, 1/131 विजयखण्डगोमती नगर लखनऊ।
2–उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण इलाहाबाद/लखनऊ/गाजियाबाद/नोयडा/बरेली।
3–निदेशक, अन्य पिछड़ा वर्ग निदेशालय इन्दिरा भवन लखनऊ।
4–आयुक्त व्यापार कर विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
6–पुलिस अधीक्षक,पावर कारपोरेशन उ0प्र0 लखनऊ।
7–पुलिस अधीक्षक,सीबीआई लखनऊ।
8–पुलिस अधीक्षक, सतर्कता उ0प्र0 लखनऊ।